



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदम सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - खोडान्न)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 148 (91)

दायर दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

| क्र.म. | नाम-ग्राम | ख.न | रिपोर्ट | कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश |
|--------|-------------|-----|---|--|
| 1 | लाला का नहर | 14 | <p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाहिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पाठना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना जचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्राविष्टी वदाम पुत्री तुलसीराम जट सा. देह रदन बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक जामाण बैंक छाया दामाणी</p> <p>शुद्ध प्राविष्टी वदाम पुत्री तुलसीराम जट सा. देह रदन राजस्थान ग्रामीण बैंक जामाण दामाणी 03.10.25</p> <p>हस्ताक्षर न गोहर तहसीलदार हस्ताक्षर न गोहर तहसीलदार</p> | <p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसारीदार कपासन की अनुशांथा स्वीकार की जाकर राज. भू. रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>खोडान्न</u> का बर्दाप ह. <u>नुरविद्या खुर्द</u> खातासं में वर्तमान प्राविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरासद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़</p> |